राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1624/2015

दिनेश चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी–I, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.07.2015
आदेश की दिनांक : 10.09.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद गोयल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी के पद पर पदस्थापित है, जिसकी नियुक्ति वर्ष 1990 में अस्थायी आधार पर दिनांक 01.03.1990 से हुई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.03.1996 द्वारा स्थायी किया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2004 में राष्ट्रीय ऑपन विद्यालय से माध्यमिक उत्तीर्ण की है (अनुलग्नक–1)। इसी प्रकार की स्थिति वाले कर्मचारी ने पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर नियमित वेतनमान की मांग की थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई, 1993 के अपने निर्णय में अनुमति दी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.1993 को अन्य निर्णय भी दिया गया था, जो धन्नालाल राज्य के मामले में प्रस्तुत किए गए अनुलग्नक के साथ संलग्न है। अपीलार्थी माध्यमिक उत्तीर्ण की शैक्षणिक योग्यता रखते हुए एलडीसी के पद पर पदोन्नति पाने के लिए पूरी तरह से पात्र था और उसका नाम वर्ष 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011 और 2011–2012 के लिए तैयार की गई प्रत्येक पात्रता सूची में शामिल था। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 169 पर है, जो क्रमांक 328 ए पर वरिष्ठता स्थिति दर्शाता है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदोन्नति का लाभ पाने के लिए पूरी तरह से योग्य एवं हकदार था, लेकिन उसके नाम पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया, जबकि माध्यमिक कक्षा पास की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले कर्मचारियों के नाम आदेश दिनांक 12.09.2013 (अनुलग्नक–3) द्वारा पदोन्नत किए गए है। वर्ष 2012–2013 और 2013–2014 के लिए दिनांक 30.01.2014 को एक अन्य संशोधित पात्रता सूची तैयार की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 115 पर है। संशोधित पात्रता सूची की प्रति अनुलग्नक–4 पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2015–2016 के लिए आपत्तिजनक पात्रता सूची तैयार की गई है, जिसमें अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया गया। बिना कोई

कारण बताए उसका नाम पहले की पात्रता सूची से हटा दिया गया। पात्रता सूची से नाम हटाने के लिए अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और न ही कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया। अपीलार्थी पूर्व संशोधित नियमों के अनुसार एलडीसी के पद पर पदोन्नति पाने के लिए पूरी तरह से योग्य और हकदार है। विवादित पात्रता सूची की प्रति अनुलग्नक–5 पर अंकित है। इन परिस्थितियों में अपीलार्थी ने दिनांक 22.06.2015 (अनुलग्नक–6) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी की शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी नोटिस भेजा, जिसके तहत अपीलार्थी का नाम शामिल करके पात्रता सूची को नए सिरे से तैयार किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपीलार्थी दिनांक 05.07.2010 की अधिसूचना को रिकॉर्ड पर रख रहा है जिसके द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 में संशोधन किए गए थे (अनुलग्नक–7)। उक्त अधिसूचना के मात्र अवलोकन से स्पष्ट है कि एलडीसी का पद आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 85 प्रतिशत और पदोन्नति के माध्यम से 15 प्रतिशत भरा जाना है। पदोन्नति के लिए योग्यता अनुभव यह है कि कर्मचारी के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए। यह प्रावधान पहले के प्रावधानों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड की माध्यमिक के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए इस संशोधन के माध्यम से लागू हुआ है। अपीलार्थी भी माध्यमिक पास है, इसलिए वह भी पदोन्नति पाने का हकदार है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर वर्ष 2015–2016 के लिए आक्षेपित पात्रता सूची (अनुलग्नक–5) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल करके नए सिरे से पात्रता सूची तैयार करने एवं एलडीसी के पद पर विवादित पात्रता सूची के आधार पर आगे पदोन्नति न दें। पदोन्नति की प्रक्रिया नई सूची तैयार करने के बाद की जानी चाहिए। यदि अपीलार्थी नई पात्रता सूची के अनुसार उपयुक्त और पात्र पाया जाता है, तो उसे सभी पारिणामिक लाभों के साथ एलडीसी के पद पर पदोन्नति दी जानी चाहिए।

प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कार्मिक दैनिक वेतन भोगी कार्मिक के रूप में दिनांक 01.03.1990 से कार्यरत रहा था। अपीलार्थी को विभाग द्वारा 12.03.1996 से नियमित किया गया जिसके अनुक्रम में अपीलार्थी की वरिष्ठता 12.03.1996 से प्रदान की गयी एवं सभी परिलाभ दिये गये। अपीलार्थी द्वारा सैकण्डरी स्कूल परीक्षा वर्ष 2004 में उत्तीर्ण की गई है। अपीलार्थी 2012–13 एंव 2014–15 तक की पात्रता सूची में क्रम संख्या 115 पर अंकित है। अपीलार्थी की वरिष्ठता का निर्धारण दिनांक 12.03.1996 नियमित नियुक्ति से मानी जावेगी। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के कार्मिक (क–ग्रुप–II) विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.12.2012 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 31.07.2013 के बाद के उपलब्ध पदों पर पदोन्नति हेतु योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या समतुल्य परीक्षा और इलैक्ट्रोनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओऐएसीसी द्वारा संचालित हो या उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या वर्धमान

महावीर ऑपन विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रोद्योगिकी में प्रमाण पत्र साथ ही पाँच वर्ष अनुभव भी तय किया गया। चूंकि अपीलार्थी की योग्यता सैकण्डरी थी तथा अपीलार्थी राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.12.2012 के द्वारा दिनांक 31.07.2013 के बाद के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होने के कारण पात्रता सूची 2015–16 से अपीलार्थी का नाम हटाया गया। दिनांक 31.07.2013 के पश्चात उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर जारी किये गये पदोन्नति आदेश दिनांक 15.10.2015 द्वारा चयनित सभी कार्मिक सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण एवं आरकेसीएल द्वारा कम्प्यूटर योग्यताधारी है। (अधिसूचना दिनांक 05.12.2012 एवं आदेश दिनांक 15.10.2015 की प्रति संलग्न है)। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य